भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 749
दिनांक 25 जुलाई, 2023 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

749. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एसः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) जिसे डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) का नाम दिया गया है, को शुरू करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) एनएलआरएमपी के कार्यान्वयन में सरकार को किन-किन अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) एनएलआरएमपी के कार्यान्वयन में प्रगति/स्थिति क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) किन-किन राज्यों ने अब तक अपने भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया है और इसकी विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्यों में एनएलआरएमपी धीमा रहा है क्योंकि केवल कुछ ही राज्यों ने इस मोर्चे पर पर्याप्त प्रगति की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या कम्प्यूटर अभिलेखों की सूची को किसी परिवर्धन या संशोधन के लिए अद्यतन करने के पश्चात् पुराने अभिलेखों अथवा डाटाबेस का रख-रखाव किया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिन राज्यों ने इन अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया है, उनके भू-अभिलेखों को कब तक कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाएगा?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) पूर्ववर्ती राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम थी जिसका 1 अप्रैल, 2016 से केंद्र से शत प्रतिशत वित्तपोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में नवीकरण किया गया और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

डीआईएलआरएमपी का उद्देश्य एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लक्ष्य के साथ एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ: (i) भूमि पर रियल-टाइम सूचना में सुधार; (ii) भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग;(iii) भू स्वामियों तथा भावी क्रेता/विक्रेता दोनों को लाभ;(iv) नीति तथा नियोजन में सहायता;(v) भूमि विवादों में कमी;(vi) धोखाधड़ी / बेनामी लेनदेन को रोकना;(vii) राजस्व/रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता समाप्त करना तथा (viii) विभिन्न संगठनों/एजेंसियों के साथ सूचनाओं को साझा करना, शामिल है।

(ख) डीआईएलआरएमपी एक मांग प्रेरित कार्यक्रम है जिसका कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता से किया जा रहा है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर करती है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक जटिल, संवेदनशील और भारी कार्य है जिसमें बोझिल और समय लगने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों जैसे सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण के पूरा करने की अवधि अन्य स्कीमों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। डीआईएलआरएमपी के उच्च प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम होने

के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के शुरुआती समय में इसको अपनाने और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु अपेक्षित प्रौद्योगिकी और कुशल श्रम शक्ति की व्यवस्था करने में काफी समय लिया। वर्ष 2016 से पहले कार्यान्वयन की गति के प्रभावित होने का एक अन्य कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक यथा अपेक्षित राज्य हिस्से की व्यवस्था कर पाने में संसाधनों की कमी, था।

अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों (एसआरओ) के कंप्यूटरीकरण में पर्याप्त प्रगति की गई है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में विभिन्न कारणों जैसे कुशल श्रम शक्ति का अभाव, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, अनुसूची VI के तहत परंपरागत कानूनों, स्थानीय समुदायों के पास स्वामित्व के भूमि अभिलेखों के उपलब्ध होने के कारण प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है।

विभाग द्वारा कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी, समीक्षा बैठकों, वीडियो कांफ्रेंसों, कार्यशालाओं और डीआईएलआरएमपी की केन्द्रीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों के माध्यम से की जाती है।

(ग) से (ङ); इस स्कीम को 875.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। केन्द्र सरकार, डीआईएलआरएमपी के माध्यम से भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण सहित कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है। अब तक, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से 2271.36 करोड़ रुपये (लगभग) जारी किए गए हैं। अब तक, देश भर के 657,417 गांवों में से 622,655 (94.71%) गांवों में अधिकारों के अभिलेखों (आरओआर) का कम्प्यूटरीकरण पूरा किया गया है। भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से डीआईएलआरएमपी के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है और उन्हें इस उद्देश्य के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भूमि प्रबंधन और प्रशासन संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि संख्या 18 और 45 और समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि संख्या 6 और 42 में सूचीबद्ध एक राज्य विषय है जिसमें भू-राजस्व प्रबंधन और प्रशासन प्रणाली राज्य विशिष्ट अधिनियमों/नियमों/विनियमों और केंद्र सरकार के कतिपय अधिनियमों और नियमों/विनियमों के द्वारा संचालित होती है। अतः कंप्यूटर अभिलेखों की सूची में किसी परिवर्धन या संशोधन के लिए अद्यतन करने के पश्चात पुराने अभिलेखों अथवा डाटाबेस के रखरखाव की पूर्ण ज़िम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। तथापि, केंद्र सरकार डीआईएलआरएमपी के आधुनिक अभिलेख

कक्ष (एमआरआर) घटक के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी ईलेक्ट्रोनिक और भौतिक भूमि अभिलेख डाटाबेस/दस्तावेजों के रखरखाव के लिए निधियां प्रदान कर रहा है।

(च)तथा(छ) जी हाँ। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुराने भूमि अभिलेख डाटाबेस को कंप्यूटरीकरण और डिजिटीकरण की प्रक्रिया के बाद विरासत अभिलेखों/फाइलों/आंकड़ों आदि के भंडारण के लिए उनकी अवधारण नीति के अनुसार आधुनिक अभिलेख कक्षों (एमआरआर) में अलमारी/कॉम्पैक्टर्स आदि में सुरक्षित रखा जा रहा है। स्कैन और डिजिटलीकृत भूमि अभिलेख डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थानीय सर्वर के साथ-साथ राज्य स्तरीय डेटा सेंटर में रखा जाता है।

डीआईएलआरएमपी की अवधि को दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस तारीख तक कार्यक्रम के सभी घटकों को पूरा करने की अपेक्षा की गई है।

अनुबंध -1

दिनांक 25.07.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 749 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल आरओआर	कुल गांव	गांव के	
				पूरे किए गए सीएलआर (सं.)	पूरे किए गए सीएलआर (%)
1	2	3	4	5	6
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	92,707	205	204	99.51%
2	आंध्र प्रदेश	8,708,945	17,563	17,067	97.18%
3	अरुणाचल प्रदेश	0	5,591	0	0.00%
4	असम	3,168,776	24,542	18,969	77.29%
5	बिहार	43,277,534	47,590	45,650	95.92%
6	चंडीगढ़	5,392	25	25	100.00%
7	छत्तीसगढ़	21,673,051	20,459	19,992	97.72%
8	गोवा	789,875	425	425	100.00%
9	गुजरात	12,485,271	18,862	18,783	99.58%
10	हरियाणा	3,688,389	7,098	6,653	93.73%
11	हिमाचल प्रदेश	1,361,738	21,006	20,750	98.78%
12	जम्मू और कश्मीर	6,188,889	6,850	6,602	96.38%
13	झारखंड	2,415,120	32,945	32,703	99.27%
14	कर्नाटक	16,333,461	29,527	29,424	99.65%
15	केरल	14,330,022	1,693	1,693	100.00%
16	लद्दाख	16	247	16	6.48%
17	लक्षद्वीप	72,425	24	24	100.00%
18	मध्य प्रदेश	39,768,255	55,659	55,659	100.00%
19	महाराष्ट्र	24,010,590	44,872	44,830	99.91%
20	मणिपुर	511,248	2,715	423	15.58%
21	मेघालय	0	6,750	0	0.00%
22	मिजोरम	46,861	826	310	37.53%
23	नागालैंड	107,830	1,600	512	32.00%

24	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	67,010	207	196	94.69%
25	ओडिशा	14,552,549	51,727	51,701	99.95%
26	पुद्दुचेरी	298,219	130	119	91.54%
27	पंजाब	4,055,640	12,816	12,414	96.86%
28	राजस्थान	11,658,272	48,103	45,622	94.84%
29	सिक्किम	1,564,313	424	388	91.51%
30	तमिलनाडु	28,625,221	16,811	16,811	100.00%
31	तेलंगाना	13,280,649	10,829	10,768	99.44%
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	93,945	100	94	94.00%
33	त्रिपुरा	1,222,481	897	897	100.00%
34	उत्तराखंड	1,549,219	17,011	16,100	94.64%
35	उत्तर प्रदेश	20,924,304	1,09,078	105,153	96.40%
36	पश्चिम बंगाल	36,757,320	42,210	41,678	98.74%
	कुल	333,685,537	657,417	622,655	94.71%

***